



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE, 29, 2010 (ASADHA 3, 1932 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिचोषणा

दिनांक 29 जून, 2010

संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/आर०टी०के०-एच०एस०एन०जी०आर०एच०/सी०ए०/2010/2574.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गांतेविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

### अनुसूची

गांव हसनगढ़, जिला रोहतक के इर्द-गिर्द अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमा की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी०(आर०)1776/2010, दिनांक 21 जनवरी, 2010 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गांव मोरखेड़ी (हदबस्त संख्या 48) की आयत संख्या 14 का उत्तर-पश्चिम कोना है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव मोरखेड़ी (हदबस्त संख्या 48), गांव सगवाना (हदबस्त संख्या 28), गांव हसनगढ़ (हदबस्त संख्या 118), के गांवों की उत्तरी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव हसनगढ़ (हदबस्त संख्या 118) की आयत संख्या 4 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव हसनगढ़ (हदबस्त संख्या 118) की पूर्वी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ अर्थात् जिला सोनीपत तथा जिला झज्जर की पश्चिमी जिला सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि हसनगढ़ (हदबस्त संख्या 118) की आयत संख्या 249 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर जिला झज्जर की जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव नया बास (हदबस्त संख्या 33) की आयत संख्या 66 की दक्षिण-पूर्व कोना है। तत्पश्चात् हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/एन०टी० (एस०-आर०टी०के०)/7/सी०ए०/बी०/2006/1877, दिनांक 20 जुलाई, 2007 द्वारा गांव खेड़ी सांपला के पवन पुत्र हनुमान मन्दिर की सीमा के इर्द-गिर्द पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ तत्पश्चात् हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)/एन०टी० (एस०-आर०टी०के०)/7/सी०ए०/बी०/2006/1874, दिनांक 20 जुलाई, 2007 द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय, नया बास की सीमा के इर्द-गिर्द पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम



आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०)एन०टी० (एस०-आर०टी०के०)/7/सी०ए०बी०/2006/1875, दिनांक 20 जुलाई, 2007 द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गांव गिज्जी की सीमा के इर्द-गिर्द पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा साथ-साथ बिन्दु 'ई' तक जो कि गांव समचाना (हदबस्त संख्या 28) की आयत संख्या 35 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'ई' से होते हुए उत्तर की ओर गांव गिज्जी (हदबस्त संख्या 32), गांव समचाना (हदबस्त संख्या 28) तथा गांव मोरखेड़ी (हदबस्त संख्या 48) के गांवों की पश्चिमी राजस्व सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी० एस० डेसी,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

### HARYANA GOVERNMENT

#### TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

##### Notification

29th June, 2010

**No. CCP(NCR)/RTK-HSNGRH/CA/2010/2574.**—Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:—

##### Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area in and around village Hassangarh, district Rohtak to be read with the Drawing No. DTP (R) 1776/2010, dated the 21st January, 2010.

- North :** Starting from Point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 14 of village More Kheri (Hadbast number 48), thence towards east along the northern village revenue boundaries of village More Kheri (Hadbast number 48), village Samchana (Hadbast number 28), village Hassangarh (Hadbast number 118) upto point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 4 of village Hassangarh (Hadbast number 118).
- East :** Thence moving from point 'B' towards south along the eastern village revenue boundary of village Hassangarh (Hadbast number 118) as well as along the western district boundaries of district Sonapat and Jhajjar upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 249 of village Hassangarh (Hadbast number 118).
- South :** Thence moving from point 'C' towards west along the district boundary of district Jhajjar upto point 'D' i.e. south-east corner of rectangle number 66 of village Naya Bass (Hadbast number 33). Thence along the already declared controlled area boundaries of Pawan Putra Hanuman Mandir, village Kheri Sampla published in Haryana Government Gazette vide notification No. CCP(NCR)/NT(S-RTK)/7/CA/B/2006/1877 dated 20th July, 2007, Government High School, village Naya Bass published in Haryana Government Gazette vide notification No. CCP(NCR)/NT(S-RTK)/7/CA/B/2006/1874 dated 20th July, 2007 and Government Middle School, village Gijhi published in Haryana Government Gazette vide notification No. CCP(NCR)/NT(S-RTK)/7/CA/B/2006/1875 dated 20th July, 2007 upto point 'E' i.e. south-west corner of rectangle number 35 of village Samchana (Hadbast number 28).
- West :** Thence moving from point 'E' towards north along the village revenue boundaries of villages Gijhi (Hadbast number 32), village Samchana (Hadbast number 28) and village More Kheri upto point 'A' i.e. point of start.

D. S. DHESI,

Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government, Haryana,  
Town and Country Planning Department.